



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271615
CG-DL-E-07042026-271615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1688]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/ चैत्र 17, 1948

No. 1688]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/ CHAITRA 17, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026

का.आ. 1755(अ).—केंद्रीय सरकार, नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 1982 (1982 का 66) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, गृह मंत्रालय के पुलिस उप अधीक्षक से पुलिस उप महानिरीक्षक के पद के अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग योग्य गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन की शक्तियां प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एवी-11012/11/2016-एएस]

असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2026

S.O. 1755(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Act, 1982 (66 of 1982), the Central Government, for the purposes of the said Act, hereby confers to the officers in the rank of Deputy Superintendent of Police to Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency, Ministry of Home Affairs, the powers of arrest, investigation and prosecution exercisable by a police officer under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. AV-11012/11/2016-AS]

ASANGBA CHUBA AO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026

का.आ. 1756(अ)— केंद्रीय सरकार, अपहरण-रोधी अधिनियम, 2016 (2016 का 30) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, गृह मंत्रालय के पुलिस उप अधीक्षक से पुलिस उप महानिरीक्षक के पद के अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग योग्य गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन की शक्तियां प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं.: एवी-11012/11/2016-एस]

असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2026

S.O. 1756(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Anti-Hijacking Act, 2016 (30 of 2016), the Central Government, for the purposes of the said Act, hereby confers on the officers in the rank of Deputy Superintendent of Police to Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency, Ministry of Home Affairs, the powers of arrest, investigation and prosecution exercisable by a police officer under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. AV-11012/11/2016-AS]

ASANGBA CHUBA AO, Jt. Secy.